न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–465/2018 (2018/00466) दर्ज दिनांक 26.07.2018

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

अनवान

1. भेरू आत्मज प्यारा कुम्हार
2. किशना आत्मज प्यारा कुम्हार
3. नानु आत्मज प्यारा कुम्हार
4. उदयलाल आत्मज जगु कुम्हार
5. पारस आत्मज जगु कुम्हार
6. मु0 सायरी बेवा जगु कुम्हार
7. मु0 नोसी पुत्री प्यारा कुम्हार
8. मु0 लेहरी पुत्री प्यारा कुम्हार

सर्व निवासी गिरडिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

——प्रार्थीगण

बनाम

1. मथरा आत्मज उदा बैरवा निवासी बिजेपुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री मनीष दाधीच

पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट ::

निर्णय दिनांकः–29.01.2021

:: निर्णयः:

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम बिजेपुर पटवार हल्का सालेरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के पूर्वज प्यारा आत्मज देवा कुम्हार निवासी गिरडिया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 266/1 रकबा 4 बीघा, 267/1 रकबा 3 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा भूमि खाता संख्या 52 पर स्थित जिसके लिए नकल जमाबंदी संवत् 2043 से 2046 तक प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

1.

(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

यह कि प्यारा की उक्त साबिक आराजी संख्या 266/1 एवं 267/1 मौके पर एक ही चक के रूप में स्थित थी। प्रार्थीगण के पूर्वज प्यारा उक्त साबिक आराजी संख्या 266/1 के पष्चिमी ओर विपक्षी संख्या एक की साबि आराजी संख्या 266/2 स्थित थी। यह कि खातेदार प्यारा का स्वर्गवास होने के बाद उक्त आराजियात प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है।

यह कि ग्राम बिजेपुर तहसील सहाड़ा का नवीन भुप्रबंध हुआ, जिसमें प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 266/1 रकबा 4 बीघा व 267/1 रकबा 3 बीघा कुल किता दो कुल रकबा सात बीघा के नवीन नम्बर 647 रकबा 0.46 हे0, 651 रकबा 0.09 हे0, 645/851 रकबा 0.31 हे0, 647/850 रकबा 0.65 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.51 हे0 कायम किये गये है तथा विपक्षी संख्या एक की साबिक आराजी संख्या 266/2 रकबा 5 बीघा के नवीन नम्बर 646 रकबा 0.82 हे0, 652 रकबा 0.05 हे0, 645/852 रकबा 0.21 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.08 हे0 कायम किये गये है। प्रमाण में नकल मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबंदी संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 59 व 62 की साथ प्रस्तुत है।

यह कि भुप्रबंध अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने साबिक नं0 के नवीन नम्बर व रकबा तो सही कायम किया गया लेकिन नवीन नक्शा कायम करते समय विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 646 को गलत रूप से प्रार्थीगण की आराजी के बीच में दर्शित कर दिया गया है जबकि प्रार्थीगण की आराजियात मौके पर एक चक के रूप में है जिस पर प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे है। जिससे विपक्षी संख्या एक की नवीन आराजी संख्या 646 नवीन आराजी संख्या 645/851 की जगह व आराजी संख्या 645/851 की जगह विपक्षी संख्या एक की आराज संख्या 646 को फीट कराया जाना नितान्त आवष्यक हो गया है।

यह कि भुप्रबंध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साबिक नक्शे के अनुरूप ही नवीन नक्शा कायम करना चाहिये था लेकिन उन्होंने गैर कानूनी तरीके से साबिक नक्शे के अनुरूप नक्शा कायम नहीं कर प्रार्थीगण की आराजियात के बीच में गलत रूप से विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 646 को फीट कर दी है जिससे नक्शे में दुरूस्ती करवाई जाना नितांन्त आवष्यक हो गया है।

2.

Scanned with CamScanner

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजियात के साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे में दुरूस्ती कराये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें। विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 646 की जगह प्रार्थीगण की आराजी संख्या 645/851 को फीट कराई जावे एवं प्रार्थीगण की आराजियात 645/851 की जगह विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 646 को फीट करा साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे में तरमीमात कराई जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी संख्या 01 उपस्थित जवाब हेतु अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है। विपक्षी संख्या 2 पेरोकार की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 को स्वीकार किया व चरण संख्या 2 साबिक नक्शे में आराजी नं0 266/2 अस्पष्ट है। चरण संख्या 3, 4 रेकार्ड अनुसार स्वीकार की है। चरण संख्या 5, 6, 7, 9 वादी स्वयं सिद्ध करे। चरण संख्या 8, 10, 11, 12 को न्यायिक बताया कर निवेदन किया कि भूप्रबंध विभाग ने तत्समय मौके पर कब्जा काष्त अनुसार साबिक नम्बरों की नवीन नक्शे में नवीन आराजियात की तरमीम की है मौके पर कब्जा वादी स्वयं सिद्ध करें। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर से उक्त प्रार्थना पर पर मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रार्थना पत्र पर मौका रिपोर्ट तहसीलदार सहाड़ा से तलब की गई जो इस प्रकार हैः–

मौके अनुसार यह है कि ग्राम बिजेपुर पटवार हल्का सालेरा की खसरा संख्या 645/851, 647, 647/850, 651 किता 4 क्षेत्रफल 1.51 हे0 वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है।
यह है कि ग्राम बिजेपुर पटवार हल्का सालेरा की खसरा संख्या 645/852, 646, 652 किता 3 क्षेत्रफल 1.08 हे0 मथरा पिता उदा बैरवा के नाम दर्ज रेकार्ड है।
यह है कि खसरा संख्या 646 क्षेत्रफल 0.82 हे0 पर वादीगण का कब्जा है परन्तु खसरा संख्या 646 प्रतिवादी के नाम दर्ज रेकार्ड है।
यह है कि वादीगण को वाद में अंकित किया कि खसरा संख्या 645/851 के स्थान पर 646 को अंकित कराया जावे लेकिन वर्तमान खसरा संख्या 645/851 पर भी प्रतिवादी का कब्जा न होकर अधिकांश भीग पड़त पड़ा होकर किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं है।
यह है कि खसरा संख्या 647/850 के 0.16 हे0 पर प्रतिवादी का कब्जा पाया गया शेष भाग पर वादीगण काबिज है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी के नाम अंकित खसरा संख्या 645/852 व 652 पर प्रतिवादी का कब्जा नहीं होकर पड़त पड़ी होकर रास्ता निकल रहा है।

3.

गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

यह है कि प्रतिवादी का कब्जा खसरा संख्या 647/850 के 0.16 हे0 भाग खसरा संख्या 150 के अधिकांश भाग पर व खसरा संख्या 648 सम्पूर्ण पर है। खसरा संख्या 648 व 650 बिलानाम दर्ज रेकार्ड है।
यह है कि खसरा संख्या 645/851 प्रतिवादी के कब्जेशुदा भूमि से दूर स्थित है।
यह है कि गत नक्शे का व वर्तमान नक्शे का मिलान करने पर वाद में वर्णित तथ्य आंशिक रूप से सही नये पाये जाते है।
यह है कि वादीगण का कब्जा गत नक्शे अनुसार नहीं है।
यह है कि गत नक्शे व हाल नक्शे का मिलान करने पर खसरा संख्या 646, सम्पूर्ण वादीगण के नाम दर्ज किया जाना उचित नहीं है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता व पेरोकार सरकार को मजमे आम सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर निवेदन किया। एवं विपक्षी ने मौका रिपोर्ट अनुसार प्रा0पत्र पर निर्णय हेतु निवेदन किया। बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं तहसीलदार सहाड़ा की मौका रिपोर्ट पर गहन मनन किया। जिससे पुराने नक्शे के अनुरूप नये नक्शे में साबिक आराजी संख्या 266/1, 267/1 को एक साथ एक चक में करते हुए तरमिम किया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं:–

:: आदेश::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की आराजियात के साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे में दुरूस्ती की जाकर ग्राम बिजेपुर पटवार हल्का सालेरा के साबिक आराजी नं0 266/1, 267/1 एक चक में करते हुए साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से क्रम हो।

(उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 4.
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner